कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 21 / 2024–25 / 683 दिनांकः 22 सितम्बर, 2025

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन के रिक्त 79 पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 21 / 2024–25 / 897, दिनांकः 21 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के अंतर्गत सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन के रिक्त 79 पदों पर पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 21 / 2024–25 / 605, दिनांक– 25 अगस्त, 2025 द्वारा सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन के रिक्त **79** पदों पर चयन हेतु दिनांक– 08 जून 2025 (रविवार) को आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण जारी करते किया गया। साथ ही लिखित परीक्षाओं में प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले या निर्धारित कट–ऑफ अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 09 सितम्बर 2025 को आमंत्रित किया गया था। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के उपरान्त विज्ञापन में उल्लिखित वांछित / अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने तथा अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने तथा अन्य कारणों से अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 21 / 2024–25 / 659, दिनांक– 10 सितम्बर 2025 द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता / अभ्युक्ति / अनुपस्थिति के सापेक्ष दिनांक– 15 सितम्बर 2025 सांय 05.00 बजे तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।

03– उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय निम्नानुसार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित किया जा रहा है।

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	अंतिम निर्णय
1	6250281158	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा लैब टैक्नीशियन डिग्री शैक्षिक अर्हता धारित है। परन्तु प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5– शैक्षिक अर्हता में स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया है कि "अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से सी0एस0एस0डी0 / ओ0टी0 में डिग्री / डिप्लोमा की उपाधि हो।" चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है तथा अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु अंतिम बैंच में भी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुई है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

2	6250281112	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टीं पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 015 दिनांकित 03 जनवरी 2025 प्रस्तुत नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 58 दिनांकित 30 अगस्त 2025 प्रस्तुत किया गया है जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 के उपरान्त का निर्गत किया हुआ है। परन्तु प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम–7 में स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।'' अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	6250281089	**अनर्ह–** अभ्यर्थी निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित हुई है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2025 को मेल के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही उनके अभिलेखों की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। अभ्यर्थी के दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी लैब टैक्नीशियन डिग्री शैक्षिक अर्हता धारित है। परन्तु प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5– शैक्षिक अर्हता में स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से सी0एस0एस0डी0/ओ0टी0 में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो।'' चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है इसके उपरान्त भी बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 17 सितम्बर 2025 तिथि निर्धारित की गई। अभ्यर्थी 17 सितम्बर 2025 को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुई। अतः अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन दिवस पर अनुपस्थित होने तथा प्रश्नगत पद हेतु हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने पर अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।